(b) what is the amount of relief sanctioned! by the Central Government to Assam; and

(c) whether the relief measures taken by State are adequate?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) During recent floods in Assam, a total area of about 1,21,000 hectares incuding 29,600 hectares of cropped area have been affected.

(b) A total amount of Rs. 11.25 crores, out of Rs. 22.5 crores allocated by the Centre in the current year under Calamity Relief Fund for relief operations in the wake of natural calamities including floods, has been released to the State Government.

(c) Adequate relief measures on immediate basis have been provided.

गुजरात में सार्वजनिक नलकूपों का लगाया जाना

3488. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विश्व बैंक की सहायता से सार्वजनिक नलकूप लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक से मिली सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विश्व बैंक की सहायता से किन-किन स्थानों पर वे नलकूप लगाए गए ; और

(ङ) वर्ष 1992 में विश्व बैंक की सहायता से राज्य में कितने नलकूप लगाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी, नहीं ।

(ग) गुजरात सरकार ने सिंचाई नलकपों के निर्माण के लिए विश्व बैंक सहायता अब तक प्राप्त नहीं की है ।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

राजस्थान सरकार द्वारा टिहरी बांध के जल में अपने हिस्से की मांग

3489. **श्री शिव चरण सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने टिहरी बांध से कितने जल का हिस्सा मांगा है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार कितना जल उपलब्ध करायेगी और ऐसा कब तक किया जाएगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है !

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने राजस्थान में क्षेत्रों के लिए टिहरी बांध परियोजना जल का 10 प्रतिशत आबंटित करने के वास्ते उत्तर प्रदेश सरकार को राजी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक पत्र लिखा है। तदनुसार यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार को जुलाई, 1988 में तथा इस मंत्रालय को सितम्बर, 1988 में सूचित किया कि टिहरी बांध परियोजना पर गंगा जल की वचनबद्धताओं को देखते हुए राजस्थान के क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति करना संभव प्रतीत नहीं हुआ । राजस्थान सरकार को अक्तूबर 1988 में सलाह दी गयी कि वह यह मामला यमुना पर अन्तर्राज्यीय बैठक के समक्ष लाए । यमुना विवाद पर विचार करने के लिए जल संसाधनों में अंतर्राज्यी